"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़ [illegible] 2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2011—चैत्र 21, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2011

आदेश

क्र. 2307/756/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 13 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अनुशंसा पर श्री मनसुख केरकेट्टा, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य, जो कि वर्तमान में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रामानुजगंज, जिला सरगुजा में पदस्थ हैं, को लोक हित में, इस आदेश की तामीली तिथि से, सेवा से, सेवानिवृत्त करता है.

Raipur, the 26th March 2011

ORDER

No. 2307/756/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 13 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government of Chhattisgarh, hereby, retires in public interest. Shri Mansukh Karketta, Member of Higher Judicial Service, presently posted as Additional District and Sessions Judge (FTC), Ramanujganj, District Surguja from service, from the date of service of this order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.